

7

कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक : एफ-13() जननि/व.न.नि. /2014/3185

दिनांक : 4-3-2014

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-13 () जननि./व.न.नि./2012/1336 दिनांक 27.06.2013 की अनुपालना में गठित कमेटी की बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एल.सी. असवाल की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2014 को साय: 04.00 बजे ई.सी. हाल में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित सदस्यगण/अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. श्री एल.सी. असवाल | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 2. श्री राजेन्द्र कुमार सिंघल | आयुक्त (आयोजना) |
| 3. श्री मुकेश मित्तल | वरिष्ठ नगर नियोजक |

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य सचिव

28/02/14
[Signature]
[Signature]

प्रस्ताव सं. 01

दिनांक 28.02.2014

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत। (आवासीय)

1. प्रार्थी का नाम :- श्री गिर्राज बल्दुआ।
2. भू सं./योजना का नाम :- ए-38, लक्ष्मीनारायणपुरी, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :-

- (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- लक्ष्मीनारायणपुरी।
- (ii) आवंटित :- हॉ।

4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके पैरा 132/एन, 151/एन व 152/एन अनुसार
मूल भूखण्ड	400.00 व. ग.	400.00 व. ग.	400.00 व. ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	100.77 व. ग.	100.77 व. ग.	100.77 व. ग.

5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 40'-0" (पृ. सं. 57/सी)

(ii) मौके अनुसार :- 40'-0" (पैरा 132/एन)

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पैरा 135/एन से 137/एन अवलोकनीय है। आवंटी ने 150 वर्ग गज जुगलकिशोर को विक्रय कर दिया है एवं भूखण्ड के शेष हिस्से में 84.25 व. मी. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र (फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकनीय है कि अनुसार विक्रय गिर्राज बल्दुआ को किया है। विधिक आपत्ति नजर नहीं आती है। (पैरा 139/एन)
7. मौका रिपोर्ट :- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृ. सं. 60/सी अनुसार उपविभाजन प्रार्थी के हिस्से किया जा चुका है। प्रार्थी का हिस्सा उक्त प्लान नं. ए-38 का उत्तरी पूर्व हिस्से पर आता है। प्रार्थी के हिस्से के मकानात ग्राउण्ड फ्लोर व आंशिक प्रथम फ्लोर पर बने हुये हैं। प्रार्थी द्वारा रिहायशी उपयोग में लिया जा रहा है। प्लान नं. ए-34 के सामने की सड़क की चौड़ाई 40'-0" है। (पैरा 132-133/एन)
8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-

9. मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए प्रस्तावित सैट बैक

पैरामीटर	मूल भूखण्ड	पैरामीटर	प्रस्तावित भू.सं. ए-38-बी पर देय पैरामीटर
अग्र	15'-0"	अग्र	10'-0"
साइड प्रथम	चरपेटा (भू. सं. ए-39 की तरफ)	साइड प्रथम	चरपेटा (भू. सं. ए-38-ए की तरफ)
साइड द्वितीय	10'-0"	साइड द्वितीय	5'-0" (भू. सं. ए-205 व 206 की तरफ)
पीछे	5'-0"	पीछे	चरपेटा (भू. सं. ए-39 की तरफ)

10. टिप्पणी :-

1. प्रस्तावित उपविभाजन में मूल भूखण्ड के सैट बैक को यथावत रखते हुए सैटबैक प्रस्तावित किये गए हैं।
2. कॉमन पैसेज एरिया केवल आने-जाने के उपयोग में लिया जाये। इस कॉमन पैसेज एरिया पर कोई पार्किंग व निर्माण नहीं करेगा। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक से लिया जाना प्रस्तावित है।
3. मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित उपविभाजित भूखण्ड के अग्र सैटबैक में निर्माण निर्मित है। अतः नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 19.02.10 के बिन्दु सं. 1 अनुसार ऐसे भूखण्ड जिनका पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विभाजन किया है तो मौके पर विद्यमान भवन होने पर भी उपविभाजन अनुमोदित किया जा सकेगा। यदि अग्र सैटबैक में अवैध निर्माण है तो उपविभाजन नहीं किया जायेगा। परंतु अग्र सैटबैक में भी यदि निर्माण 10 वर्ष या उससे अधिक पुराना हो तो निकाय शिथिलता दे सकेगी, बाबत आवेदिक से सबूत/प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अग्र सैटबैक में निर्मित निर्माण का नियमन नहीं माना जावेगा, इस आशय का शपथ पत्र आवेदक से लिया जाना प्रस्तावित है।
4. आवेदक को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 2467 दिनांक 07.11.2013 को उक्त भूखण्ड के पीछे के रास्ते में जाने पर इस भूखण्डधारी को आपत्ति तो नहीं है इस बाबत एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त संदर्भ में आवेदक द्वारा दिनांक 12.12.2013

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि "जो 10'-0" का कॉमन पैसेज है वो वास्तविक मकान मालिक शान्ति देवी ने किसी भी क्रेता को बेचा ही नहीं है। वो सबके आने-जाने और गाड़ियां खड़ी करने के हिसाब से छोड़ा गया है जब वो एरिया 10'-0" का किसी व्यक्ति ने खरीदा ही नहीं है तो किसी को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2012 को भी सूचना पत्र (क्रमांक न. 557) दिया गया है। इस सूचना पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ें। कृपया करके मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आपका विभाग वास्तव में चाहता क्या है? कृपया करके उपविभाजन का पत्र शीघ्र दिलान का कष्ट करें।

11. शुल्क

■ भू सं. ए-38-बी


- | | |
|---|---------------|
| i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) | 4213/- रुपये। |
| ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) | 2107/- रुपये। |

■ कॉमन पैसेज एरिया (1/3)

- | | |
|---|---------------|
| i. उपविभाजन शुल्क (50/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) | 1053/- रुपये। |
| ii. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड (25/- रुपये प्रति वर्ग मीटर) | 527/- रुपये। |

12. समिति का निर्णय:-

1. एजेण्डा में वर्णित तकनीकी मानदण्डों एवं मूल भूखण्ड के सैट बैक यथावत रखते हुये प्रश्नगत भूखण्ड ए-38 का उपविभाजन अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
2. 10'-0" का कॉमन पैसेज सभी के आने जाने के लिये होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे।
3. समस्त संदेय शुल्क व दस्तावेज जमा होने के पश्चात् दोनों उपविभाजन मानचित्र अनुमोदन कर जारी किये जायें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अध्यक्ष


आयुक्त (आयोजना)
सदस्य


वरिष्ठ नगर नियोजक
सदस्य सचिव

प्रस्ताव सं. 02

दिनांक 28.02.2014

प्रयोजन - बहुमंजिला आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

भवन विनियम जिनके तहत जॉंच की गई - भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :- श्री प्रभाकर देव डांडिया जरिये मु0आम श्री सुनील जैन।
2. भूखण्ड सं./योजना:- बी-18, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :-

- (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :- $100'-0'' \times 120'-0'' = 1333.33$ व. ग.। (1114.83 व. मी.)
- (ii) स्थल मानचित्र अनुसार :- $100'-0'' \times 120'-0'' = 1333.33$ व. ग.। (1114.83 व. मी.)
- (iii) मौका अनुसार :- $100'-0'' \times 120'-0'' = 1333.33$ व. ग.। (1114.83 व. मी.)

4. भूखण्ड का प्रकार :-

- (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- बापू नगर।
- (ii) आवंटित :- हाँ।

5. सड़क की चौड़ाई :-

- (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :- $60'-0''$
- (ii) मौके के अनुसार :- $60'-0''$

6. भू-उपयोग

- (i) मास्टर प्लान के अनुसार:- आवासीय।
- (ii) प्रस्तावित :- आवासीय।
- (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:-

7. मौका रिपोर्ट :- मौके पर भूखण्ड पर जी + 1 फ्लोर निर्मित है तथा भूखण्ड आवासीय उपयोग में आ रहा है। मौके पर भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार है। भूखण्ड का क्षेत्रफल $120'-0'' \times 100'-0'' = 1333.33$ व. ग. है। (3/एन)

8. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात अनुसार आवेदक श्री प्रभाकर देव डांडिया बी-18, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर के नाम पट्टा जारी है। इस अनुसार भूखण्ड मालिक आवेदक स्वयं है। क्षेत्रफल 1333.33 व. ग. है। इस प्रकार आवेदक श्री प्रभाकर देव डांडिया का स्वामित्व सही जाहिर है। (7/एन)

9. तकनीकी रिपोर्ट :-

(i) भवन के पैरामीटर्स:-

(1)	(2)	(3)	(4)
सैट बैक (न्यूनतम)	स्थल मानचित्रानुसार	भवन विनियम 2010 की तालिका "2" के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	$30'-0''$	9.00 मी.	9.14 मी.
साईड प्रथम	$15'-0''$	6.00 मी.	6.21 मी.
साईड द्वितीय	$15'-0''$	6.00 मी.	6.21 मी.
पीछे	$5'-0''$	6.00 मी.	6.10 मी.
ऊँचाई	-	27.43 मी. + स्टिल्ट	30.00 मी. (स्टिल्ट सहित)
मंजिल	-	अंकित नहीं	बी+एस+8 तल
बेसमेंट	-	देय	प्रस्तावित
आच्छादन	-	सैटबैक क्षेत्र के अंदर	33.45 प्रतिशत
एफ.ए.आर	-	1.33 + 2.25	2.298

(ii) पार्किंग:- भवन विनियम अनुसार = 33.45 ई.सी.यू. (प्रस्तावित फ्लैट्स की सं. 20)
25 प्रतिशत अतिरिक्त = 8.63 ई.सी.यू.

कुल वांछित पार्किंग = 42.68 ई.सी.यू. (32 कार, 33 स्कूटर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 43.00 ई.सी.यू. (31 कार, 30 स्कूटर)

(आवेदक द्वारा 1 कार व 3 स्कूटर कम प्रस्तावित है)

(iii) वर्षा जल संग्रहण प्रावधान - आवश्यक है, प्रस्तावित है।

(iv) सौर ऊर्जा प्रावधान - आवश्यक है, प्रस्तावित है।





10. फायर अनापत्ति विवरण:- भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः फायर अनापत्ति ली जानी है।

11. भूखण्ड के चारों ओर एन.बी.सी. के प्रावधानानुसार ड्राइव वे 3.6 मीटर उपलब्ध है।

12. भवन विनियम 2010 के नियम 12 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रस्तावित है।

13. विचारणीय बिन्दु :-

1. आवेदक द्वारा 60'-0" चौड़ी सड़क पर स्थित उक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 100'-0"X120'-0" = 1333.33 व. ग.। (1114.83 व. मी.) पर बेसमेंट + स्टिल्ट + 8 तल कुल 30.00 मी. ऊँचाई प्रस्तावित कर बहुमंजिला आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति चाही गयी है। जो अनुमोदन योग्य है।

2. कुल देय एफ.ए.आर. के अनुसार 1 कार व 3 स्कूटर कम प्रस्तावित है। अतः एफ.ए.आर. कम किया जाना है या पार्किंग प्लान संशोधन किया जाना है।

3. आवेदक द्वारा एफ.ए.आर. 2.298 प्रस्तावित किया गया है जबकि देय एफ.ए.आर. 2.25 देय है। इस प्रकार 0.048 = 53.70 व. मी. एफ.ए.आर. कम किया जाना है।

4. भवन विनियम 8.11 के अनुसार सड़क का डेढ़ गुणा 27.43 मी. + स्टिल्ट = 30.00 मी. भवन की ऊँचाई देय है।

14. मानचित्रों का अनुमोदन किया जाता है तो निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है :-

1. जांच शुल्क	11144/- रूपये।
2. भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क	237857/- रूपये।
3. शॉप मानचित्र अनुमोदन शुल्क	877/- रूपये।
4. मलबा शुल्क	10000/- रूपये।
5. वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर	
(क) वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण अमानत राशि	600000/- रूपये।
6. लोगो राशि	1000/- रूपये।
7. फायर सेस शुल्क	256206/- रूपये।
8. सीवर शुल्क	355024/- रूपये।
9. अति 0 एफ.ए.आर. शुल्क 239954 + 1067835 =	1307789/- रूपये।
10. बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड	47572/- रूपये।
11. दुकान शुल्क	180312/- रूपये।

15. प्रस्ताव :-

i. कुल देय एफ.ए.आर. के अनुसार 1 कार व 3 स्कूटर कम प्रस्तावित है। अतः एफ.ए.आर. कम किया जाना है या पार्किंग प्लान संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

ii. आवेदक द्वारा एफ.ए.आर. 2.298 प्रस्तावित किया गया है जबकि देय एफ.ए.आर. 2.25 देय है। इस प्रकार 0.048 = 53.70 व. मी. एफ.ए.आर. कम किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त संशोधनों के साथ मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

16. समिति का निर्णय:-

1. बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र बेसमेंट + स्टिल्ट + 8 तल अर्थात् 27.43 मी + स्टिल्ट कुल 30.00 मी. ऊँचाई (स्टिल्ट सहित) एजेण्डा में वर्णित तकनीकी मानदण्ड व संशोधन के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

2. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2013 की अनुपालना में प्रति सरफेस कार पार्किंग हेतु एक लाख रूपये नकद अथवा बैंक गारंटी के तौर पर प्रार्थी से जमा करवाये जायें।


3. प्रस्तावित कुल एफ.ए.आर. अनुसार 1 कार व 3 स्कूटर पार्किंग कम प्रस्तावित हैं। अतः तदनुसार एफ.ए.आर. आवेदक की सहमति से कम किया जावे अथवा प्रार्थी से संशोधित पार्किंग प्लान लिया जावे।


4. आवेदक द्वारा एफ.ए.आर. 2.298 प्रस्तावित किया गया है जबकि देय एफ.ए.आर. 2.25 देय है। इस प्रकार 0.048 = 53.70 व. मी. एफ.ए.आर. कम किया जावे अथवा प्रार्थी से संशोधित मानचित्र लिये जावे।


5. भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः फायर अनापत्ति ली जावे।

6. नियमानुसार फायर सेस लिया जावे।

7. समस्त संदेय शुल्क व दस्तावेज जमा होने, संशोधित मानचित्र प्राप्त होने व फायर अनापत्ति होने के पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन निर्माण मानचित्र जारी किये जायें।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अध्यक्ष


आयुक्त (आयोजना)
सदस्य


वरिष्ठ नगर नियोजक
सदस्य सचिव

प्रयोजन - आवासीय (फ्लैट्स) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई - भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :- श्री विनोद कासलीवाल।
2. भूखण्ड सं./योजना:- ए-6/1, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :- 2114.03 व. ग. (1767.59 व. मी.)
4. तकनीकी रिपोर्ट :-

(i) भवन के पैरामीटर्स:-

(1)	(2)	(3)	(4)
सेट बैंक (न्यूनतम)	भवन विनियम 2010 की तालिका "2" के अनुसार	पूर्व अनुमोदित मानचित्र अनुसार	प्रस्तुत संशोधित मानचित्रानुसार
अग्र	12.00 मी.	12.19 मी.	12.19 मी.
साईड प्रथम	6.00 मी.	6.12 मी.	6.14 मी.
साईड द्वितीय	6.00 मी.	6.10 मी.	6.14 मी.
पीछे	6.00 मी.	6.10 मी.	6.14 मी.
ऊँचाई	8.11 के अनुसार	30.00 मी.	30.00 मी.
मंजिल	अंकित नहीं	LB+UB+Stilt+G+8 th	B+Stilt+ +8th
बेसमेंट	देय	दो प्रस्तावित	एक प्रस्तावित
आच्छादन	35 प्रतिशत	28.25 प्रतिशत	29.7 प्रतिशत
एफ.ए.आर	1.33 से 2.25	2.245	1.859

5. प्रकरण के तथ्य :- प्रश्नगत प्रकरण को प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012 के अंतर्गत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 28.11.2013 में प्रस्ताव सं. 04 पर विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- i. बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र LB+UB+Stilt+G+8th कुल ऊँचाई 30 मीटर (स्टिल्ट सहित) एजेण्डा में वर्णित तकनीकी मानदण्ड व संशोधन के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
- ii. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2013 की अनुपालना में प्रति सरफस कार पार्किंग हेतु एक लाख रुपये नकद अथवा बैंक गारंटी के तौर पर प्रार्थी स मा करवाये जायें।
- iii. प्रस्तावित कुल एफ.ए.आर. अनुसार 4 कार पार्किंग कम प्रस्तावित है। अतः तदानुसार एफ.ए.आर. आवेदक की सहमति से कम किया जावें।
- iv. स्टिल्ट फ्लोर पर क्लब का एरिया नियमानुसार 58.00 व. मी. देय है जबकि प्रार्थी द्वारा 118.96 व. मी. प्रस्तावित है। प्रस्तावित एरिया में से अधिक एरिया को कम किया जाकर पार्किंग में शामिल किया जावें।
- v. स्टिल्ट फ्लोर पर लैण्डस्केप 55.13 व. मी. (3.12 प्रतिशत) प्रस्तावित है जिसे स्टिल्ट से हटाकर ओपन में किया जावें।
- vi. भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है। अतः फायर अनापत्ति ली जावे।
- vii. नियमानुसार फायर सेस लिया जावें।
- viii. समस्त संदेय शुल्क व दस्तावेज जमा होने, संशोधित मानचित्र प्राप्त होने व फायर अनापत्ति होने के पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन निर्माण मानचित्र जारी किये जावें।
उक्त निर्णय की अनुपालना में आवेदक द्वारा एक बेसमेंट व एक तल कम करते हुए भवन की 30.00 मी. ऊँचाई प्रस्तावित करते हुए संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं।
निर्णय के बिन्दु सं. (iii) की अनुपालना में एफ.ए.आर. के अनुसार पार्किंग प्रस्तावित कर दी गई है।
निर्णय के बिन्दु सं. (iv) की अनुपालना में स्टिल्ट फ्लोर पर क्लब एरिया का कम कर दिया गया है।
आच्छादन 28.25 प्रतिशत के स्थान पर 29.7 प्रतिशत प्रस्तावित किया है।
निर्णय के बिन्दु सं. (v) की अनुपालना में स्टिल्ट फ्लोर से लैण्डस्केप हटा दिया गया है।

6. प्रस्ताव :- उपरोक्तानुसार भवन मानचित्र तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।

7. समिति का निर्णय:-

1. बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र बेसमेंट+Stilt+8th तल कुल ऊँचाई 30 (स्टिल्ट सहित) एजेण्डा में वर्णित तकनीकी मानदण्डों के अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
2. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.09.2013 की अनुपालना में प्रति सरफस कार पार्किंग हेतु एक लाख रुपये नकद अथवा बैंक गारंटी के तौर पर प्रार्थी से जमा करवाये जायें।
3. मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक का शुल्क नियमानुसार लिया जावें।
4. भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई का प्रस्तावित है अतः फायर अनापत्ति ली जावें।
5. नियमानुसार फायर सेस लिया जावें।
6. समस्त संदेय शुल्क व दस्तावेज जमा होने व फायर अनापत्ति होने के पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र जारी किये जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अध्यक्ष

आयुक्त (आयोजना)
सदस्य

वरिष्ठ निगर नियोजक
सदस्य सचिव

प्रस्ताव सं. 04

दिनांक 28.02.2014

प्रयोजन - छात्रावास भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई - भवन विनियम-2010

1. प्रार्थी का नाम :- श्री विजय पूनिया, अध्यक्ष स्वाधीन छात्रावास समिति।
2. भूखण्ड सं./योजना:- स्वाधीन छात्रावास, सूचना केन्द्र के पीछे, टोंक रोड, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :- 2694.55 व. ग.।
4. भूखण्ड का प्रकार :-
 - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- सूचना केन्द्र के पीछे, टोंक रोड।
 - (ii) आवंटित :- हॉ। (जविप्रा. द्वारा आवंटित)
5. सड़क की चौड़ाई :-
 - (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :- अंकित नहीं।
 - (ii) मौके के अनुसार :- 23'-0" से 39'-0" तक।
6. सड़क विस्तार हेतु यदि भूमि समर्पण है तो उसका विवरण:- निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
7. भू-उपयोग
 - (i) मास्टर प्लान के अनुसार:- आवासीय।
 - (ii) प्रस्तावित :- आवासीय
 - (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:- पीछे टीनशेड डालकर कमरा बनाया हुआ है।
8. मौका रिपोर्ट :- मौके पर भूखण्ड पर पीछे टीनशेड डालकर कमरा बनाया हुआ है। उसमें केयरटेकर रहता है तथा पूर्ण भूखण्ड खाली है तथा वर्तमान में किसी काम में नहीं आ रहा है। मौके पर भूखण्ड की स्थिति स्केचानुसार है।
भूखण्ड का क्षेत्रफल $177'-6'' \times 127'-0'' = 2504.72$ व. ग.।
 $67'-0'' \times 25'-6'' = 189.83$ व. ग.।
 $= 2694.55$ व. ग.। (6/एन)
9. स्वामित्व रिपोर्ट :- जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड स्वाधीन छात्रावास का जारी पट्टा की फोटो प्रति श्री विजय पूनिया, अध्यक्ष स्वाधीन छात्रावास के नाम है।
10. प्रकरण के तथ्य :-
 1. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित/विक्रय पत्र सं. 766 दिनांक 04.01.2005 द्वारा शहरी जमाबंदी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा क्षेत्रफल 2694.55 व. ग. का श्री विजय पूनिया, अध्यक्ष, स्वाधीन छात्रावास समिति के नाम जारी है।
 2. उक्त भूखण्ड पर आवेदक द्वारा बेसमेंट + भूतल + तृतीय तल तक कुल 12 मी. ऊँचाई का स्वतंत्र आवास निर्माण की स्वीकृति चाही गयी है।
11. प्रस्ताव :- अतः उक्त भूखण्ड पर स्वतंत्र आवास के भवन मानचित्र दो बेसमेंट+भूतल+द्वितीय तल कुल 12 मीटर ऊँचाई दिया जाना प्रस्तावित है।
12. समिति का निर्णय:-
 1. स्वतंत्र आवास के भवन मानचित्र प्रस्तावानुसार दो बेसमेंट+भूतल+द्वितीय तल कुल 12 मीटर ऊँचाई एजेण्डा में वर्णित तकनीकी मानदण्डों अनुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
 2. समस्त संदेय शुल्क व दस्तावेज जमा होने के पश्चात् स्वतंत्र आवास के भवन मानचित्र जारी किये जायें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अध्यक्ष

आयुक्त (आयोजना)
सदस्य

वरिष्ठ नगर नियोजक
सदस्य सचिव